"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 31 मार्च 2017— चैत्र 10, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–07/आठ–परि./2017. – मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 202 के उप–नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(11) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सीमा जांच चौकियों या अन्य जांच चौकियों, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, में विविध सेवायें जैसे तौलना, डाटा एण्ट्री, माल को लादने और उतारने, पार्किंग एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिये सेवा प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका वहन यान के स्वामी या चालक द्वारा किया जायेगा और भिन्न भिन्न जांच चौकियों के लिये सेवा प्रभारों की भिन्न भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी ।"

No F 5-07/VIII/Trans./2017. – In exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of

Section 212, of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (10) of rule 202, the following shall be added, namely:-

"(11) The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify rates of service charges for various services such as weighing, data entry, loading and unloading of goods, parking and other related services at such border check posts or other check posts as specified in the said notification, which shall be borne by the owner or driver of the vehicle and different rates of service charges may be notified for different check posts."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.